फा.सं0 21034/08/2017-राभा(प्रशि)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

3360
06/10/2025

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1
दिनांक: 01.10. 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन वैयक्तिक वेतन संबंधी आदेशों की समेकित किया जाना ।

उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 24 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-राभा (प्रशि.) के पैरा 1(5) (क) एवं (ख) के मौजूदा प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

'हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित होने वाली हिंदी आशुलिपिक परीक्षा में अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिक 50% या अधिक अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होगें।'

लेकिन जिन कर्मचारियों ने पहले ही आशुलिपि की परीक्षा पास की है अथवा जिसके लिए हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाएगा ।

2. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02 सितंबर 1976 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी से जारी किया जाता है ।

मौसमी
01/10/2025
(मौसमी तिर्की)
अवर सचिव, भारत सरकार

फा.सं0 21034/08/2017-राभा(प्रशि) दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय,
4. प्रधानमंत्री कार्यालय ।
5. मंत्रीमंडल सचिवालय
6. भारत का निर्वाचन आयोग ।
7. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय
8. संघ लोक सेवा आयोग ।